

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] No. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

फा. सं.1-10(1)/स्टैण्डर्झ/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्झ/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 5 जून, 2015 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है ।

230 GI/2016 (1)

- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "मछली और मछली उत्पाद" से संबंधित विनियम 2.6 में,—
 - (क) उपविनियम 2.6.1 में नमकीन मछली/शुष्कित नमकीन मछली से संबंधित खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "7(1) शुष्कित/नमकीन और शुष्कित मछली उत्पाद से ताजी या नमक के साथ या उसके बिना मछली को शुष्कित करने के पश्चात् स्वास्थ्यकर मछली से तैयार उत्पाद अभिप्रेत है ।
 - (2) मछली नमक लगाने और शुष्क करने से पूर्व रक्तक्षरित, अंतडिया रहित, मुंड रहित, चीरी हुई या कटी हुई और धोई हुई होगी।
 - (3) नमकीन मछली बनाने को प्रयुक्त नमक स्वच्छ, विजातीय प्रदार्थों से मुक्त, धूल, तेल, नितल या अन्य बाहरी सामग्री के संदूषण के दृश्य चिह्न दर्शित नहीं होंगे ।
 - (4) उत्पाद विजातीय पदार्थ, आपत्तिजनक गंध और सुवास से मुक्त होगा ।
 - (5) उत्पाद में परिशिष्ट 'क' में अनुज्ञात खाद्य योज्यक अंतर्विष्ट हो सकेंगे।
 - (6) उत्पाद विनियम में अभिकथित सुक्ष्म जैविकीय और रासायनिक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
 - (7) उत्पाद निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा ;

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)
1.	25˚ सेंटीग्रेट पर जल क्रियाशीलता (aw)	0.78 से कम
2.	लवण अवयव (सोडियम क्लोराइड प्रतिशत)*	12% से कम नहीं
3.	हिस्टामाइन** अवयव, अधिकतम	200 मि.ग्रा./कि.ग्रा.
4.	शुष्क आधार पर अम्ल में घुलनशील भस्म	1% से अधिक नहीं

^{*} लवण अवयव की अपेक्षा केवल शुष्क नमकीन मछली उत्पाद में लागू होगी।

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन **।।।/4/**असा./328]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीएफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा. सं. 1-83एल/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

^{**} हिस्टामाइन अवयव की अपेक्षा हिस्टामाइन विषाक्ता के साथ सहबद्ध सूचीबद्ध मछली प्रजातियों से तैयार केवल शुष्कित/शुष्कित नमकीन मछली उत्पाद के लिए लागू होगी।"

- (vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2016

F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013 dated 5th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th July, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.6 relating to "Fish and Fish Products",
- (a) in sub-regulation 2.6.1, in clause (7) relating to salted fish/dried salted fish, the following shall be substituted, namely:-
 - "7 (1) Dried/ salted and dried fishery products means the product prepared from fresh or wholesome fish after drying with or without addition of salt.
 - (2) The fish shall be bled, gutted, beheaded, split or filleted and washed prior to salting and drying.
 - (3) Salt used to produce salted fish shall be clean, free from foreign matter, show no visible signs of contamination with dirt, oil, bilge or other extraneous materials.
 - (4) The product shall be free from foreign matter, objectionable odour and flavour.
 - (5) The product may contain food additives permitted in Appendix A.
 - (6) The product shall conform to the microbiological and chemical requirement as laid down in the regulation.
 - (7) The products shall conform to the following requirements:

Sr. No. (1)	Characteristics (2)	Requirements (3)
1.	Water activity (a _w), at 25°C	Less than 0.78
2.	Salt Content (percent Sodium Chloride)*	Not less than 12 %
3.	Histamine** content, max.	200 mg/Kg
4.	Acid Insoluble Ash on dry basis	Not more than 1%

^{*}Requirement of salt content is only applicable to dry salted fishery products.

PAWAN KUMAR AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./328]

- **Note. -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:—
 - (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
 - (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
 - (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
 - (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
 - (v) F. No.1-83L/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
 - (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
 - (vii) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (viii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
 - (x) F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
 - (xi) F. No. P. 15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015.

^{**} Requirement of Histamine content is only applicable for dried/dry-salted fishery products prepared from listed fish species associated with histamine poisoning."